

प्रेस विज्ञप्ति

अपर जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर द्वारा 03 यूपी गुण्डा एक्ट के 03 अभियुक्तों को 06 माह के लिए किया जिला बदर:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा 03 यूपी गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत की गई कार्यवाही में आज दिनांक 10.10.2020 को अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) सहारनपुर द्वारा निम्न अभियुक्तगण को धारा 03 यूपी गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत दोषी पाते हुए जनपद की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिये निष्कासित किया गया है। निम्न अभियुक्त केवल मा0 न्यायालय में विचारधीन वादों की पैरवी हेतु नियत तिथि पर उपस्थिति हेतु ही जनपद की सीमाओं में प्रवेश करेंगे। इसके अतिरिक्त जनपद की सीमाओं में पाये जाने पर अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

- 1-अब्बास पुत्र मासूम निवासी ग्राम सतपुरा थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
- 2-रिजवान पुत्र मासूम निवासी ग्राम सतपुरा थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
- 3-अतीक पुत्र फुलवा निवासी ग्राम पिटौरी थाना बेहट, सहारनपुर।

प्रेस नोट

सहारनपुर पुलिस का सराहनीय कार्य

थाना देवबंद के मु0अ0सं0 374/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के अभियुक्त फूलमियां पुत्र अख्तर निवासी मौहल्ला बडजियाउलहक कस्बा व थाना देवबन्द की लगभग 01 करोड़ रुपये की सम्पत्ति कुर्क की गई:-

आज दिनांक 10.10.2020 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय सहारनपुर के आदेश के अनुपालन में जनपद के कुख्यात अपराधी/ गैंगस्टर फूलमियां पुत्र अख्तर निवासी मौहल्ला बडजियाउलहक कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर सम्बन्धित मु0अ0सं0 374/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम थाना देवबन्द जिला सहारनपुर, जिसके द्वारा समाज विरोधी क्रियाकलाप के जरिए असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहकर अपराध करके अवैध रूप से धन अर्जित किया गया है। अभियुक्त फूलमियां पुत्र अख्तर निवासी मौहल्ला बडजियाउलहक कस्बा व थाना देवबन्द अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर अवैध रूप से धन अर्जित कर सम्पत्ति अर्जित की गयी है। राजस्व विभाग से प्राप्त की गयी रिपोर्ट एव गोपनीय जानकारी से पता लगाया गया फूलमियां के पास ग्राम बछेडी मे एक पैत्रक मकान है जिसमे अभियुक्त के माता पिता रहते है। फूलमियां विवाहित है जो जीविकापार्जन के लिए अन्य कोई कार्य नहीं करता है। अभियुक्त फूलमियां की आय का कोई अन्य वैध स्रोत नहीं है। वह अपनी जीविकापार्जन के लिये संगठिक गिरोह बनाकर अवैध रूप अपराध कर धन एकत्रित अवैध सम्पत्ति अर्जित करता है, जिसकी उक्त कुर्क की गई सम्पत्ति की कीमत लगभग 01 करोड़ रुपये है।

उच्च अधिकारीगण द्वारा कुख्यात एवं शातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत उक्त अभियुक्त फूलमियां पुत्र अख्तर निवासी मौहल्ला बडजियाउलहक कस्बा व थाना देवबन्द जिला सहारनपुर की संपत्ति कुर्क किए जाने हेतु आख्या श्रीमान जिलाधिकारी सहारनपुर को प्रेषित की गई थी उक्त रिपोर्ट के आधार पर श्रीमान जिलाधिकारी सहारनपुर द्वारा फूलमियां की उक्त सम्पत्ति को गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1)/4(ख) के अंतर्गत संपत्ति कुर्क किए जाने के आदेश दिनांक 16.9.2020 को पारित किया गया ! उक्त आदेश के अनुपालन में फूलमियां की संपत्ति को कुर्क किया गया मौके पर उपजिलाधिकारी देवबन्द श्री राकेश कुमार व क्षेत्राधिकारी देवबन्द श्री रजनीश कुमार उपाध्याय व तहसीलदार देवबन्द श्री हर्ष चावला, प्रभारी निरीक्षक श्री अशोक सोलंकी, अतिरिक्त निरीक्षक श्री संजय सिंह, अतिरिक्त निरीक्षक श्री डीसी कुमार, व0उ0नि0 श्री सत्येन्द्र कुमार राय व पीएसी व अन्य पुलिस फोर्स मौजूद रहे। उक्त अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध हत्या व गैंगस्टर के अभियोग पंजीकृत हैं